तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील/टी.ए/5587/2004/बीकानेर</u>** **रामा आदि बनाम जेठा आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9.04.2019	**खण्ड–पीठ** **श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष** **श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य** **उपस्थितः** श्री वी.एस. राठौड, अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री एस. एल, गुर्जर, उप राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडन्ट संख्या 3. **निर्णय** 1– यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रथम अपील संख्या 61/2002 में दिनांक 30.09.2004 को पारित निर्णय के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट संख्या 1 श्रीमती रामा ने एक वाद विभाजन, घोषणा, दुरस्ती रिकार्ड व स्थाई व्यादेश बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 2/प्रतिवादीया श्रीमती गंगा एवं राज्य सरकार के विरूद्ध सहायक कलक्टर, बीकानेर के न्यायालय में पेश किया था। रेस्पोडेन्ट नं 2/प्रतिवादीया तामील के बावजूद भी विचारण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुई थी। राज्य सरकार का जवाबदावा पेश होने के बाद विचारण न्यायालय ने तनकीयात कायम की थी तथा साक्ष्य लेखबद्ध कर दिनांक 21.05.2002 के निर्णय के द्वारा वादी का वाद डिक्री किया था। 3– उस निर्णय को जेठाराम रेस्पोडेन्ट नं 1 ने प्रथम अपील के द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के यहां चुनौती दी थी। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.09.2004 के द्वारा जेठाराम की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की थी तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किया था कि अपीलाण्ट जेठाराम से जवाबदावा प्राप्त करके प्रकरण का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील / टी.ए / 5587 / 2004 / बीकानेर</u>** **रामा आदि बनाम जेठा आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विधिनुसार नये सिरे से निस्तारण किया जाए। राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के इस निर्णय के विरूद्ध मौजूदा अपील पेश की गई। 4– प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र वादीया ने अपीलाण्ट संख्या 2 मोहन सिंह को पक्षकार बनाने बाबत पेश किया था। वह दरखास्त दिनांक 7.10.2003 को स्वीकार कर ली गई थी तथा मोहन सिंह को रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के रूप में अपील में प्रतिस्थापित करने का आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी ने दिया था। इसके बावजूद दिनांक 30.09.2004 के आक्षेपित निर्णय में राजस्व अपील प्राधिकारी ने मोहन सिंह को विचारण न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी। इसलिए इस अपील में विधि का यह बिन्दु निहित है कि क्या मोहन सिंह को विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिए बगैर पारित किया गया रिमाण्ड आदेश विधिसम्मत है? 5– बहस उभय पक्ष सुनी गई। 6– विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस की दलील है कि मोहन सिंह को प्रथम अपील में रेस्पोडेन्ट बना लिया गया था तो प्रकरण रिमाण्ड करते समय प्रथम अपीलीय न्यायालय को यह भी निर्देश देने चाहिए थे कि मोहन सिंह को भी विचारण न्यायालय सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का अवसर दे। इस प्रकार के निष्कर्ष अभिलिखित किए बगैर पारित किया गया निर्णय विधिसम्मत नहीं है। 7– उप राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि राज्य सरकार ने इस अपील में औपचारिक पक्षकार है तथा वैसे भी अपीलाण्टस की व्यथा वाजिब है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / टी.ए / 5587 / 2004 / बीकानेर** **रामा आदि बनाम जेठा आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	8– उक्त तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। 9– विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जेठाराम तथा अपीलांट संख्या 2 मोहन सिंह पक्षकारान नहीं थे। विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री से खुद को व्यथित महसूस करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जेठाराम ने राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के यहां प्रथम अपील पेश की थी। उसकी अपील के विचारण के दौरान मोहन सिंह अपीलांट संख्या 2 को पक्षकार बनाने की दरख्वास्त अपीलांट संख्या 1 / वादीया रामा देवी ने दी थी। उसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इसलिए पक्षकार बना लिया था कि प्रकरण के विचारण के दौरान रामादेवी ने वादग्रस्त आराजीयात का आधा हिस्सा मोहन सिंह को विक्रय कर दिया है। इस प्रकार कुल मिलाकर स्थिति यह हुई कि अपीलांट संख्या 2 मोहन सिंह वादी संख्या 2 के रूप में तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जेठाराम प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. में यह प्रावधान है कि जहां प्रतिवादी जोडा जाता है, वहां वाद पत्र का संशोधन किया जाना आवश्यक हो जाता है। इसलिए वाद रिमाण्ड करते समय प्रथम अपीलीय न्यायालय ने ना तो मोहन सिंह को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर देने का आदेश दिया है और ना ही संशोधित वाद पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश वादीगण को दिये हैं। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई इस त्रुटी को दुरूस्त किया जाना उचित है। 10– लिहाजा यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा दिनांक 30.09.2004 को पारित निर्णय में यह संशोधन किया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्टस आज से एक माह के भीतर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील / टी.ए / 5587 / 2004 / बीकानेर</u>** **रामा आदि बनाम जेठा आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संशोधित वाद पत्र पेश करेंगे तथा तत्पश्चात विचारण न्यायालय प्रकरण का विधिनुसार निस्तारण करेंगी। पक्षकारान दिनांक 20.06. 2019 को विचारण न्यायालय में पेश हो। निर्णय सुनाया गया। **(राजेन्द्र कुमार)** सदस्य **(मुकेश कुमार शर्मा)** अध्यक्ष	